

# राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

सीआईएन नंबर:- U40104RJ2015SGC048738

कार्यालय: विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

क्रमांक:- रा.उ.वि.नि.लि/मु.अ./प्रे. 73

दिनांक.....4.08.2021

## परिपत्र

विभिन्न सौर ऊर्जा उत्पादको/विकासकर्ताओ द्वारा राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ प्रधान मंत्री कुसुम योजना घटक अ. में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने व उत्पादित सौर ऊर्जा के विक्रय हेतु करार किये गये हैं। स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के व्यवसायिक रूप से विद्युत का उत्पादन शुरू करने के पश्चात, विद्युत बेचान विपत्र अधीक्षण अभियंता (बिलिंग), राजस्थान ऊर्जा विकास निगम 132 KV GSS Building, केलगीरी रोड़ मालवीय नगर जयपुर 302017 को संबोधित करते हुए भुगतान हेतु प्रस्तुत करने है। बिजली संयंत्रों के लिए ऊर्जा विपत्रों के सुव्यवस्थित और समय पर सत्यापन के लिए, प्रथम ऊर्जा विपत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने है।

1. अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित मूल बेचान विपत्र।
2. मूल पीपीए की प्रति।
3. मूल संयुक्त मीटर रीडिंग पत्र (निर्यात ऊर्जा, आयात ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा, KVArh, KVAH, अधिकतम मांग, पावर फैक्टर)।
4. प्रारूप-1 के अनुसार कनेक्टिविटी की तारीख और व्यावसायिक संचालन तिथि (सीओडी) के बीच तंत्र में डाली गई ऊर्जा, यदि कोई हो, के संबंध में वचनबद्धता (Undertaking)।
5. प्रारूप-2 के अनुसार सीडीएम (CDM) को डिस्कॉम के साथ साझे करने हेतु वचनबद्धता (Undertaking)।
6. यदि लागू हो तो, संस्थापन प्रलेख (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन)।
7. बोर्ड संकल्प पत्र/स्वामित्व विलेख/साझेदारी विलेख।
8. हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को अधिकृत करने वाला प्राधिकरण पत्र (मूल)।
9. सौर ऊर्जा जनरेटर मालिक और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के पैन कार्ड की फोटो कॉपी।
10. हस्ताक्षर प्राधिकारी (साइनिंग अथॉरिटी) के आईडी प्रूफ (आधार कार्ड)
11. आरआरईसी पंजीकरण दस्तावेज।
12. कनेक्टिविटी कगेटी द्वारा जारी गीटिंग का विवरण।
13. Commissioning कमेटी द्वारा जारी मीटिंग का विवरण।
14. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कमीशनिंग प्रमाण पत्र (कमीशन)
15. Synchronization का प्रमाण पत्र।
16. सौर ऊर्जा संयंत्र व अंतर विद्युत संबंध तंत्र के बीमा दस्तावेजों की प्रति।



उक्त दस्तावेज सौर ऊर्जा उत्पादको को प्रथम ऊर्जा विपत्र (Energy Invoice) के साथ संलग्न करने है तथा बाद के मासिक ऊर्जा विपत्रो के साथ उपर क्रं. सं. 1 और 3 पर वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने है। सीडीएम (CDM) से सम्बंधित वचनबद्धता (Undertaking) हर वर्ष अप्रैल के महीने के ऊर्जा विपत्र के साथ प्रस्तुत करना है।

4.8.2021

मुख्य अभियंता

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबंध निदेशक, ज.वि.वि.नि.लि./अ.वि.वि.नि.लि/जो.वि.वि.नि.लि./जयपुर/अजमेर/जोधपुर.
2. निदेशक (तकनीकी), आरआरईसीएल, जयपुर.
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, आरयूविएनएल, जयपुर.
4. तकनीकी सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉमस, जयपुर.
5. तकनीकी सहायक, प्रबंध निदेशक आरयूविएनएल, जयपुर.

Same

मुख्य अभियंता

CDM हेतु वचनबद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मंत्री कुसुम योजना घटक ए के तहत हमारा .....  
मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि गांव..... तहसील..... जिला.  
.....में स्थापित है अभी तक UNFCC में पंजीकृत नहीं है।

भविष्य में उक्त संयंत्र UNFCC में पंजीकृत होता है तो अर्जित CDM परिलाभ को आरईआरसी  
रेगुलेशंस के तहत डिस्कॉम के साथ साझा करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

हमारे द्वारा Commissioning की तारीख से.....तक CDM परिलाभ नहीं लिया  
गया है।

अधिकृत के हस्ताक्षर  
(अधिकृत व्यक्ति का नाम)



Free Energy हेतु वचनबद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मंत्री कुसुम योजना घटक ए के तहत हमारा.....

मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि गांव..... तहसील ..... जिला

.....में स्थापित है दिनांक .....को कमीशन हो गया है।

- मैं/हम कनेक्टिविटी दिनांक से Commissioning की दिनांक तक तंत्र में प्रवाहित विद्युत ऊर्जा का भुगतान दावा नहीं करुंगा/करेगे।

अधिकृत के हस्ताक्षर  
(अधिकृत व्यक्ति का नाम)